कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

श्रीमती धापुबाई
मुकदमा धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम

विपक्षी श्री गांगजी व अन्य
प्रकरण संख्या 24/2023

कार्यवाही विवरण

–::निर्णय::–

दिनांक 04/06/25

उपस्थित: श्री सोहनलाल चौधरी–अधिवक्ता प्रार्थीगण
विपक्षीगण–एक पक्षीय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीगण की भूमि मौजा झल्लारा पटवार हल्का झल्लारा तहसील झल्लारा जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 540 आराजी नम्बर 3558/691 कुल किता 01 रकबा 0.16 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण ने पूर्व में सीमा जानकारी कराई लेकिन विपक्षीगण उक्त सीमाओं को जो पटवारी हल्का ने बतायी थी उसे मानने से इन्कार कर दिया। जिस कारण प्रार्थीगण को विवश होकर विपक्षीगण के विरूद्ध उक्त पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पडा है। प्रार्थीगण की आराजीयात के पडोस मे प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 मे वर्णित अनुसार विपक्षीगण के आराजीयात की भूमि स्थित है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया की आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना के न्यायालय मे गैर हाजिर रहने से विपक्षीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली मे प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण की बहस अपने प्रार्थना पत्र अनुसार रही।

बहस मनन की गई एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण मौजा झल्लारा पटवार हल्का झल्लारा तहसील झल्लारा जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 540 आराजी नम्बर 3558/691 कुल किता 01 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि के रेकॉर्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–:आदेश:–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा झल्लारा पटवार हल्का झल्लारा तहसील झल्लारा जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 540 आराजी नम्बर 3558/691 कुल किता 01 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु पत्थर मय मजदूर खडडा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। साथ ही भू–अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा हो। पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार झल्लारा के नाम जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करे।

निर्णय आज दिनांक 04/06/25 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(परमजीत आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर